भारत सरकार **राज्य सभा**

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय **अतारांकित प्रश्न सं. 3411**

(वाणिज्य विभाग)

दिनांक 31 मार्च 2023 को उत्तर दिये जाने के लिए

चाय उद्योग संबंधी अवसंरचना का विकास किया जाना

3411. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्य :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चाय बागान श्रमिकों और उनके परिवारों के लिए शैक्षिक और अन्य सुविधाओं में सुधार के लिए उपाय करने के अलावा, चाय पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास में सहायता करने का विचार है;

(ख) असम और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में चाय उद्योग के लिए निधि का कितना आबंटन किया गया है;और

(ग) वर्ष 2023 के लिए असम की चाय उद्योग योजना (एटीएसआईएस) के लिए विशेष प्रोत्साहन का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क): बागानों में चाय बागान श्रमिकों के काम की शर्तों को बागान श्रम अधिनियम (पीएलए), 1951 द्वारा विनियमित किया जाता है। इस अधिनियम में नियोक्ताओं से यह भी अपेक्षा की गई है कि वे कामगारों को आवास, चिकित्सा सुविधाएं, बीमारी और मातृत्व लाभ तथा अन्य प्रकार के सामाजिक सुरक्षा उपाय प्रदान करें। चाय बागानों में और उनके आसपास के कार्य स्थलों में श्रमिकों और उनके परिवारों के लाभ के लिए बच्चों के लिए शैक्षिक सुविधाओं, पीने के पानी, संरक्षण, कैंटीन, क्रेच और मनोरंजन सुविधाओं के प्रावधान हैं। बागान श्रम अधिनियम, 1951 राज्य सरकारों द्वारा लागू किया जाता है। इसके अलावा, चाय बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जा रही चाय विकास और संवर्धन योजना में छोटे चाय उत्पादकों के बच्चों मेधावी छात्रों को शैक्षिक वजीफा और पुरस्कार प्रदान करने का प्रावधान है। चाय पर्यटन के लिए अवसंरचना विकास सहायता संबंधी कोई प्रस्ताव इस समय विभाग में विचाराधीन नहीं है। 2021-22 के बजट में असम और पश्चिम बंगाल में चाय श्रमिकों, विशेष रूप से महिलाओं और उनके बच्चों के कल्याण के लिए एक विशेष योजना तैयार करने की घोषणा की गई है।

इसके अलावा, चाय जनजाति कल्याण विभाग, असम सरकार ने असम में चाय जनजाति समुदाय के छात्रों के शैक्षिक विकास के लिए कई छात्रवृत्ति योजनाएं कार्यान्वित की हैं। इसके अतिरिक्त, असम

सरकार ने समुदाय के स्व-नियोजित युवाओं और महिला स्वयं सहायता समूहों को उनके आर्थिक उत्थान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए अन्य लाभार्थी योजनाएं भी कार्यान्वित की हैं। वित्तीय वर्ष 2022-23 में पर्यटन विभाग, असम सरकार ने चाय पर्यटन का समर्थन करने की दृष्टि से 50.00 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ असम में चाय पर्यटन अवसंरचना विकास एवं संवर्धन के प्रस्ताव के लिए एक बजटीय प्रावधान शामिल किया है।

(ख): वर्ष **2019-20** से फरवरी**, 2023** तक की अवधि के दौरान चाय बोर्ड के माध्यम से पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर) को असम के लिए **127.26** करोड़ रुपये सहित कुल **135.54** करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

(ग): असम चाय उद्योग विशेष प्रोत्साहन योजना (एटीआईएसआईएस) असम राज्य सरकार की एक योजना है, जिसे वर्ष **2020** में अधिसूचित किया गया था। एटीआईएसआईएस के तहत घटक निम्नानुसार हैं:

1. कार्यशील पूंजी पर ब्याज सहायता।
2. परम्परागत या स्पेशियलिटी चाय उत्पादन सब्सिडी।
3. संयंत्र और मशीनरी के लिए परम्परागत और स्पेशियलिटी चाय इकाइयों के लिए सब्सिडी।
4. कृषि आयकर अवकाश।

असम सरकार ने 2023-24 के बजट में योजना को और अधिक सुदृढ़ करने की घोषणा की है।
